न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00309

मोडूलाल आयु बालिग आत्मज श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट मोडू लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 01.02.2007 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया ।

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिए जाने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पूर्व अभिभाषक द्वारा वादी को यह कहा गया था कि आपका दावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है अब आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है । आपकी आवश्यकता होगी तब आपको हम सूचित कर देगे । इस

कारण से वादी नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था । इसी दौरान दिनांक 01.02.2007 से पूर्व ही वादी के अभिभाषक श्री अनिल सक्सेना बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे और न ही वादी को सूचित कर सके । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया । उक्त वाद कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार घोषणा से सम्बन्धित है । ऐसी स्थिति में उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

4. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित किये जावें ।

5. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया और विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.05.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने का समुचित कारण अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 निरस्त फरमाया जाकर वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अपीलान्ट के अभिभाषक के द्वारा यह कहा गया कि जब आवश्यकता होगी तब सूचित करके बुला लिया जावेगा इस कारण से वादी नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके थे । दिनांक 02.03.2007 को दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया । सन् 2016 में जानकारी प्राप्त होने पर दावे को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । अपीलान्ट ने अनुपस्थित रहने के कारण समुचित रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कर दिये थे फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 निररस्त फरमाया जावे एवं दावा पुनः नम्बर पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र 08 वर्ष के विलम्ब से पेश किया गया है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2016 को पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी का दावा दिनांक 02.03.2007 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है । धारा 05 के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि वादी के अभिभाषक नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके और वादी को सूचित नहीं कर सके । दिनांक 02.03.2016 को बून्दी अदालत में आने पर यह जानकारी मिली । अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा धारा 05 के प्रार्थना पत्र में लगभग 09 वर्ष के विलम्ब के पर्याप्त कारण नहीं बताये हैं । सन् 2007 से लेकर सन् 2016 तक उनके द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं किया गण जो कि तार्किक प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार रेस्टोरेशन प्रार्थना के विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने दावा पुनः नम्बर पर लेने के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा